# स्कूल और आंगनवाड़ी अब एक ही परिसर में होंगे

## दो विभागों के तालमेल से बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल देने की तैयारी

**प्रशासनिक संवाददाता**

**भोपाल, 19 मई. छोटे बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत अक्सर एक अनजान जगह से होती है, जहां उनको नया माहौल मिलता है. इस माहौल के डर और झिझक को खत्म करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी और प्राथमिक विद्यालय को अब एक ही परिसर में लाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के विजन को धरातल पर उतारने के लिए, केन्द्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक बड़ा और दूरदर्शी कदम उठाया है. अब आंगनवाड़ी केंद्रों और प्राथमिक विद्यालयों का को-लोकेट किया जा रहा है. इस व्यावहारिक रणनीति का उद्देश्य बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा, पोषण और देखभाल की एक ऐसी मजबूत नींव रखना है, जो उनके उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सके. विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल दो संस्थानों को एक परिसर में लाने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह महिला एवं बाल विकास और स्कूल शिक्षा विभाग के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर बच्चों के लिए एक सुरक्षित, प्रेरक और उत्कृष्ट शैक्षणिक माहौल तैयार करने का महाअभियान है.

### क्या बदलेगा इस व्यवस्था से

यह को-लोकेशन मॉडल मुख्य रूप से उन आंगनवाड़ी केंद्रों पर लागू किया जा रहा है जो प्राथमिक विद्यालयों के समीप स्थित हैं और जहाँ बच्चों के लिए सुरक्षित पहुँच उपलब्ध है. इसमें अस्थायी या सीमित संसाधनों वाले परिसरों में चल रहे आंगनवाड़ी केंद्रों को प्राथमिक विद्यालयों में स्थानांतरित कर अधिक सुरक्षित और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है. ऐसे विद्यालय जहां अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध हैं, वहां आंगनवाड़ी केंद्रों को को-लोकेट किया जा रहा है जिससे शासकीय परिसंपत्तियों और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो सके. भौगोलिक कारणों से जिन क्षेत्रों में भौतिक रूप से को-लोकेशन संभव नहीं है, वहां समीपस्थ प्राथमिक विद्यालयों के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों की डिजिटल मैपिंग की जा रही है जिससे दोनों संस्थानों के बीच समन्वय और संसाधनों का साझा उपयोग सुनिश्चित किया जा सके.

> इस एकीकृत मॉडल से बच्चों का आंगनवाड़ी केन्द्रों से पहली कक्षा में स्थानांतरण बेहद सुचारू और सहज हो जाएगा। विद्यालय परिसर से पहले से परिचित होने के कारण बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे शुरुआती कक्षाओं में होने वाले ड्रॉप आउट की दर में भारी कमी आएगी। इस नई व्यवस्था से आंगनवाड़ी के बच्चों को स्कूलों की आधुनिक अधोसंरचना, खेल के मैदानों और उन्नत शैक्षणिक संसाधनों तक समान पहुंच मिलेगी। बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होने के साथ-साथ खेल-आधारित पाठ्यक्रमों जैसे आधारशिला और जादुई पिटारा के साझा उपयोग से शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार होगा। आंगनवाड़ी एवं विद्यालय समन्वय से बच्चों के डेटा का मिलान आसान होगा, जिससे सेवाओं के दोहराव से बचा जा सकेगा और प्रत्येक बच्चे तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचना सुनिश्चित हो.

### जाबाली योजना में अब नए क्षेत्र भी शामिल होंगे

**भोपाल.** प्रदेश में वैश्यावृत्ति का दंश झेल रही महिलाओं को इसके दायरे से बाहर लाने के लिए प्रदेश में संचालित जाबाली योजना में नए जिले और क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा. अभी ये योजना प्रदेश के चुनिंदा जिलों में संचालित है, जहां वैश्यावृत्ति के मामले ज्यादा आते हैं. मंगलवार को मंत्रालय में महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया की अध्यक्षता में महिला सशक्तिकरण योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये गठित कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई, जिसमें इस विषय पर विचार किया गया और राज्य सरकार को किए जाने वाले अनुशंसा के प्रमुख बिंदु में शामिल किया गया. बैठक में शाली त्यागी बालिकाओं को एक बार फिर विद्यालय की ओर वापस लेने के लिए विकल्पों पर भी विचार किया गया. बैठक में पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार कृष्णा गौर स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण कमेटी की बैठक में शामिल नहीं हो सकीं, वहीं बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्रीमती राधा सिंह उपस्थित थी. नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी बैठक में वर्चुअली शामिल हुईं. समिति ने इस दौरान प्रमुख राज्य प्रवर्तित योजनाओं तथा महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त करने वर्तमान परिस्थितियों में प्रासंगिकता एवं योजनाओं में अपेक्षित बदलाव पर विस्तृत चर्चा की. कमेटी की अगली बैठक अब जून में होगी.

# सांसद ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण

**नवभारत न्यूज**

**सिंगरौली 19 मई। जिले अंतर्गत ग्राम निवास में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया।**

सीधी-सिंगरौली के सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करते हुए अस्पताल में आए हुए मरीजों एवं उनके परिजनों से स्वास्थ्य योजनाओं एवं चिकित्सा की व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल किया। सांसद ने इस दौरान मरीज के हाल-चाल भी लिए और साथ ही चिकित्सालय में मौजूद चिकित्सकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि मरीज को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं और उन्हें बाहर से दवाइयां भी खरीदनी ना पड़े इसकी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। सांसद के साथ में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

# अवैध नशीली कफ सिरप के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार

## थाना रामपुर नैकिन पुलिस की कार्यवाही

**नवभारत न्यूज**

**सीधी 19 मई, थाना रामपुर नैकिन पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अवैध नशीली कफ सिरप के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन गौरव राजपूत द्वारा चलाए जा रहे.**

ऑपरेशन प्रहार 2.0 के अंतर्गत नशे के विरुद्ध विशेष अभियान के तहत, उप पुलिस महानिरीक्षक रीवा क्षेत्र हेमंत चौहान के मार्गदर्शन, पुलिस अधीक्षक सीधी संतोष कोरी के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव एवं एसडीओपी चुरहट रवि प्रकाश कोल के नेतृत्व में थाना रामपुर नैकिन पुलिस द्वारा अवैध नशीले पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए 02 आरोपियों को अवैध नशीली कफ सिरप के साथ गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के अनुसार दिनांक 17 मई 2026 को थाना रामपुर नैकिन पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम घूंघटा रोड क्षेत्र में कुछ व्यक्ति अवैध नशीली कफ सिरप छिपाकर रखे हुए हैं। सूचना पर थाना प्रभारी रामपुर नैकिन के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा गवाहों की उपस्थिति में मुखबिर सूचना की तस्दीक कर ग्राम घूंघटा रोड पुलिया के पास घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान आरोपी

मो. इसराइल पिता मो. शाहिद निवासी कस्बा रामपुर नैकिन एवं मो. एहसान पिता मोहम्मद जुनूम निवासी कस्बा रामपुर नैकिन थाना रामपुर नैकिन जिला सीधी

पुलिस को देखकर भागने एवं छिपने का प्रयास करने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपियों को मुखबिर सूचना से अवगत कराते हुए विधि सम्मत कार्यवाही की गई। आरोपियों के बताए अनुसार पास की झाड़ियों से एक पॉलीथीन में रखी 15 शीशी नशीली कफ सिरप बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 3,015 रुपये है। दोनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर थाना लाया गया, जहां उनके विरुद्ध धारा 8, 21, 22 एनडीपीएस एक्ट एवं 5/13 म.प्र. ड्रग्स कंट्रोल अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी रामपुर नैकिन निरीक्षक सुधांशु तिवारी, सउनि अनंतलाल प्रजापति, प्रआर धीरेन्द्र सिंह, प्रसन्न मिश्रा एवं नायक शशिशेखर उपाध्याय की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

# अवैध शराब के विरुद्ध आबकारी विभाग की बड़ी कार्यवाही

## देवसर वृत्त से भारी मात्रा में मदिरा जब्त

**नवभारत न्यूज**

**सिंगरौली 19 मई। आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण और विक्रय के खिलाफ कार्रवाई की है। इसी कड़ी में 18 मई को वृत्त-देवसर के अंतर्गत मुखबिर से अवैध शराब की सूचना मिलने पर 36.35 बल्क लीटर देशी-विदेशी शराब जप्त कर कार्रवाई की है।**

जानकारी के अनुसार आबकारी टीम ने ग्राम पचौर निवासी आरोपिया सविता गुप्ता पति दीपचंद्र गुप्ता, ग्राम बड़ोखर निवासी पुष्पा गुप्ता पति प्रमोद गुप्ता और ग्राम बाघाडीह निवासी रामरक्षा साहू पिता मुलई साहू के रिहायशी मकानों की तलाशी ली। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से कुल 22 पाव गोवा व्हिस्की, 4 पाव एमडी व्हिस्की, 24 पाव देशी मदिरा प्लेन, 15 पाव देशी मदिरा मसाला, 48 नग केन और 01 बोतल बीयर बरामद की गई। आबकारी टीम द्वारा जप्त की गई इस कुल 36.35 बल्क लीटर अवैध मदिरा का अनुमानित

बाजार मूल्य लगभग 13,931 रुपये आंका गया है। मामले में आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क)के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। उक्त कार्यवाही में देवसर वृत्त प्रभारी एवं आबकारी उनि नीलिमा मार्को, आबकारी आर रामनरेश साहू, अमरपाल सिंह, संध्या मेहरा तथा नगर सैनिक प्रकाश मिश्रा मुख्य रूप से शामिल रहे।

# जमोड़ी पुलिस की सक्रियता से गुमशुदा बालिका दस्तयाब

**नवभारत न्यूज**

**सीधी 19 मई, थाना जमोड़ी पुलिस की सक्रियता से गुमशुदा नाबालिग बालिका दस्तयाब हुई।** पुलिस अधीक्षक सीधी संतोष कोरी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अमन मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना जमोड़ी पुलिस ने संवेदनशीलता एवं तत्परता का परिचय देते हुए गुमशुदा नाबालिक बालिका को सकुशल दस्तयाब कर परिजनों को सुपुर्द किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार दिनांक 13 मई 2026 को थाना जमोड़ी में एक परेशान पिता द्वारा सूचना दी गई कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री, जो स्वास्थ्य खराब होने के कारण जिला चिकित्सालय सीधी उपचार हेतु आई थी, उपचार के बाद घर लौटते समय अचानक बिना बताए कहीं चली गई। परिजनों द्वारा रिश्तेदारी एवं आसपास काफी तलाश की गई, लेकिन बालिका का कोई सुराग नहीं मिला। पिता ने आशंका जताई कि उसकी नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना जमोड़ी पुलिस द्वारा तत्काल अपराध दर्ज कर संभावित स्थानों पर लगातार तलाश शुरू की गई। पुलिस टीम ने तकनीकी एवं मुखबिर सूचना के आधार पर लगातार प्रयास करते हुए बालिका को छवारी थाना मझौली क्षेत्र से सकुशल दस्तयाब कर लिया। पूंछताछ में बालिका ने बताया कि वह पारिवारिक नाराजगी के कारण बिना बताए अपने मामा के घर चली गई थी। बालिका के सकुशल मिलने पर परिजनों ने राहत की सांस ली तथा थाना जमोड़ी पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया। इस कार्यवाही में उनि दिव्य प्रकाश त्रिपाठी थाना प्रभारी जमोड़ी, एएसआई गोविंद, प्रआर राजपति सिंह एवं महिला आरक्षक सविता की विशेष एवं सराहनीय भूमिका रही।

# शिवम वर्मा फेम इंडिया सूची में शामिल

## लगभग 100 अधिकारियों को प्रारंभिक सूची में किया शामिल

### 04 बेहतरीन कार्यशैली के कारण फेम इंडिया सूची में शामिल

**इंदौर, 19 मई . फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी 2026' सर्वेक्षण के प्रारंभिक परिणाम जारी कर दिए गए हैं.**

इसमें मप्र से इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के साथ ही जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, सतना कलेक्टर सतीश

कुमार, नरसिंहपुर कलेक्टर रजनी सिंह और भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह है. सर्वे में देशभर के करीब 800 जिलों में कार्यरत जिलाधिकारियों और डिप्टी कमिश्नरों के कामकाज, प्रशासनिक क्षमता और जनसेवा से जुड़े कार्यों का मूल्यांकन किया गया. इसके बाद लगभग 100 अधिकारियों को प्रारंभिक सूची में शामिल किया गया है.

### जनसरोकार से जुड़े पहलू भी सर्वे का हिस्सा

फेम इंडिया के अनुसार चयन प्रक्रिया में प्रशासनिक दक्षता, सुशासन, संकट प्रबंधन, जनसंपर्क, नवाचार, जवाबदेही, विकास कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन समेत 10 प्रमुख मानकों को आधार बनाया गया. इसके अलावा विशेषज्ञों की राय, ग्राउंड रिपोर्ट, मीडिया विश्लेषण और जनसरोकार से जुड़े पहलुओं को भी सर्वे का हिस्सा बनाया गया.


### वाहन हस्तानांतरण सूचना

मै मुस्कान रावत पिता भीमसेन रावत उम्र 23 निवासी ग्राम पोस्ट कदैंला तह.रामपुर बाघे.जिला सतना म.प्र. की निवासी होकर बहलफ सूचित कर रही हूं कि स्व.श्रीमती माया रावत (आदिवासी) मेरी माता जी है, उनके नाम पर एक वाहन क्रमांक-MP19BB1856 रजिस्टर्ड है. इनका निधन हो चुका है, मै उनकी इकलौती वारिस संतान हूं, उक्त वाहन का टैक्स, परमिट, बकायाकर आदि चुकता है कोई बकायाकर नहीं है. मै उक्त वाहन को अपने नाम हस्तानांतरण करा रही हूं अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो सूचित करें.

### नाम सुधार सूचना

मै मोहम्मद असफाक पिता मोहम्मद जमील निवासी ग्राम लालपुर, पोस्ट अमरपाटन जिला सतना म.प्र. का होकर बहलफ सूचित कर रहा हू कि मेरा ड्राईविंग लाइसेंस बना हुआ है जिसका नं.MP19R-2021-0116362 है जिसमें मेरा नाम मो. अफसक पिता मो. जीमल (MOHD ASFHAK S/O MOHD JAMIL) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है जबकि सही नाम मोहम्मद असफाक पिता मोहम्मद जमील (MOHAMMAD ASFAAK S/O MOHAMMAD JAMEEL) है जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है .अत: मेरे ड्राईविंग लाइसेंस में मेरा सही नाम आधार कार्ड के अनुसार दर्ज किया जाए, जो सत्य एवं सही है.


# नेहरू शताब्दी चिकित्सालय के संविदा श्रमिकों ने खोला मोर्चा

## आज 20 मई से पूर्ण हड़ताल की चेतावनी

**नवभारत न्यूज**

**सिंगरौली 19मई, कन्स्ट्रक्शन मजदूर महासंघ सिंगरौली एवं भारतीय मजदूर संघ की औद्योगिक इकाई (सफाई कामगार) के बैनर तले नेहरू शताब्दी चिकित्सालय में कार्यरत संविदा श्रमिकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है।**

श्रमिक संगठनों का आरोप है कि अस्पताल में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के साथ लगातार शोषण और अन्याय किया जा रहा है, लेकिन प्रबंधन एवं संविदाकार उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर नहीं हैं। संगठन द्वारा पूर्व में प्रबंधन को नोटिस देकर समस्याओं के निराकरण की मांग की गई थी। इसके बावजूद कोई ठोस पहल नहीं होने पर मंगलवार को श्रमिकों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। रैली के दौरान श्रमिकों ने जनजागरण अभियान चलाते हुए लोगों को अपनी समस्याओं से अवगत कराया और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में कन्स्ट्रक्शन मंत्री सुनील यादव, श्रीमती संध्या मिश्रा, राजेश सहित बड़ी संख्या में श्रमिक एवं संगठन के कार्यकर्ता शामिल रहे। वक्ताओं ने कहा कि संविदा श्रमिक लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं, श्रम अधिकारों और कार्यस्थल पर सम्मानजनक व्यवहार की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। संगठन पदाधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र ही श्रमिकों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो 20 मई 2026 से नेहरू शताब्दी चिकित्सालय में कार्यरत सफाई कर्मी एवं बागवानी विभाग के सभी संविदा श्रमिक पूर्ण हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि हड़ताल के कारण अस्पताल व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति में इसकी पूरी जिम्मेदारी एनएससी प्रबंधन एवं संबंधित संविदाकार की होगी।

# बेटियां शक्ति शिविर में ले रहीं आत्मरक्षा प्रशिक्षण

**खरगोन, 19 मई.** मध्यप्रदेश के खरगोन जिला मुख्यालय पर इन दिनों बेटियों को बदलते सामाजिक माहौल और साइबर अपराधों से सुरक्षित एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आयोजित विशेष 'शक्ति शिविर' चर्चा का विषय बना हुआ है. एक संस्था द्वारा आयोजित इस शिविर में करीब 350 बेटियां जूडो-कराटे, लाठी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और आत्मरक्षा के विभिन्न गुर सीख रही हैं. शिविर में शारीरिक प्रशिक्षण के साथ-साथ बेटियों को मानसिक और बौद्धिक रूप से भी मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है.


**Presiding Officer: रामावतार पटेल**

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम सक्सेशन प्रकरण क्रमांक (MJC SUC/0000001/2026)

**विशम्भर दास शिष्य स्व श्री रामदर्शन दास ...आवेदक**

VS

**रामदर्शन दास शिष्य केशवदास ......अनावेदक**

Process Id-/2026

**पेशी दिनांक: 14/07/2026**

प्रषितिः (1) रामदर्शन दास शिष्य केशवदास पता-ग्राम कामता पूर्वीमुखारबिन्दु चित्रकूट तहसील मझगवां जिला सतना मध्य प्रदेश (2) हर आम व खास जिसका भ मर्तक रामदर्शन दास शिष्य केशवदास से संबंध हो पता- ग्राम कामता पूर्वीमुखारबिन्दु बित्रकूट तहसील मझगवां जिला सतना मध्य प्रदेश (3) आम जनता। आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक विश्म्भर दास शिष्य स्व श्री रामदर्शन दास पता ने मृतक रामर्दशन दस निवासी ग्राम कामता पूर्वीमुखारविन्दु चित्रकूट, तह. मझगवां जिला सतना की 36434446/- 5458621/- राशि/संपत्ति हेतु उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 14 July 2026 को नियत है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/संरक्षक होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 14 July 2026 को न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहें। सूचना उपरांत, यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवायी एक पक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा। यह आज तारीख 06 May 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है

**रामअवतार पटेल** (न्यायाधीश)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड चित्रकूट के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश चित्रकूट, जिला सतना (म.प्र.)



Presiding Officer : आदेश कुमार जैन

(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु)

(MCA/0000001/2026)

**रुचि अग्रवाल** ..........वादी

Vs

**कन्हैया कुमार** ..... .प्रतिवादी

Process Id- /2026

पेशी दिनांक :-16.06.2026

प्रेषिती- (1) मप्र शासन द्वारा जिलाध्यक्ष मैहर पता-मैहर जिला मैहर म.प्र., (2) कन्हैया कुमार पिता सनत पराजुली पता- निवासी गहरी गांव जिला ईलमाम, नेपाल हाल निवासी एमआईजी-94 भरहुत नगर सतना म.प्र.

यह कि प्रार्थी रुचि अग्रवाल ने आपके विरूद्ध एम सी ऐ के लिये वाद संस्थित किया है .आपको इस न्यायालय में सूचना प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिय गये हो और जो इस वाद से संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सकें . आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें . आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा . साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें यह आज तारीख 15 मई 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है .

न्यायालय की मुद्रा

(आदेश कुमार जैन)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश
मैहर जिला सतना (म.प्र.)

कृपया ध्यान दें :- यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा



## कार्यालय नगर परिषद् मऊगंज जिला मऊगंज (म.प्र.)

cmomahuganj@mpurban.gov.in

क्रमांक/421/e-tendering/NP/2026 — मऊगंज दिनांक 19.05.2026

### ई-निविदा सूचना - द्वितीय आमंत्रण

निम्नलिखित कार्य हेतु केंद्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाइन निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in/ पर देखा जा सकता है।

| क्र. | टेण्डर क्र. जारी दिनांक | कार्य का नाम | कार्य की समयावधि एवं लागत | निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD | निविदा की अंतिम तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026_UAD_508789_1 दिनांक 20.05.2026 | नगर परिषद मऊगंज अंतर्गत स्मार्ट फिश पार्लर निर्माण कार्य | 1. 30 दिवस 2. 368097/- | 1. 2000/- 2. 3680/- | 27.05.2026 |

नोट :- निविदा से सम्बंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन https://mptenders.gov.in/ की वेबसाइट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद मऊगंज
जिला-मऊगंज (म0प्र0)



## कार्यालय नगर परिषद सेमरिया जिला रीवा

क्र0/लोक निर्माण/निविदा/2026/597 — सेमरिया दिनांक 11.05.2026

### // द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना //

समस्त निर्माता/अधिकृत कंपनी / पंजीकृत विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद सेमरिया द्वारा निम्न सामग्री क्रय किये जाना हेतु आईटम दर के आधार पर ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

| क्र. | टेंडर कं. जारी दिनांक | कार्य का नाम | कार्य की समयावधि एवं अनुमानित लागत | निविदा प्रपत्र एव अमानत राशि | निविदा की अंतिम तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026_UAD _507894_1 16-05-2026 | Supply, installation, testing and commissioning of 50HP (35 kW) centrifugal pump set with all specification as given by municipal council all complete | 1-01 माह 2-5.00 लाख | 1- 2000.00 2- 5000.00 | 23-05-2026 |

नोट :- 1. निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन www.mptenders.gov.in की बेवसाइट पर ही प्रकाशित किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नही किया जावेगा। 2. निविदाकार अपनी दरे निर्धारित प्राईज बिड में जी.एस.टी. छोड़कर प्रस्तुत करे। जी.एस.टी. राशि का भुगतान नियमानुसार पृथक से किया जावेगा। देयक से नियमानुसार करों की कटौती की जावेगी।

अध्यक्ष,नगर परिषद सेमरिया जिला रीवा — मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद सेमरिया जिला रीवा


## पेज एक का शेष

### पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का हुआ निधन

1934 को देहरादून में जन्मे भुवन चंद्र खंडूरी ने अपनी शुरुआती शिक्षा के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद से उच्च शिक्षा प्राप्त की. उन्हें छात्र जीवन में ही स्वतंत्रता आंदोलन ने प्रभावित किया. उन्होंने 1954 से 1990 तक भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स में 36 साल तक सेवा दी. इस दौरान उन्होंने 1971 के भारत-पाक युद्ध में अहम भूमिका निभाई, रेजीमेंट कमांडर रहे, सेना में चीफ इंजीनियर और आर्मी मुख्यालय में एडिशनल मिलिट्री सेक्रेटरी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया. वह 1991 में पहली बार गढ़वाल लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे. इसके बाद उन्होंने 1998, 1999, 2004 और 2014 में भी लोकसभा चुनाव जीता. संसद में रहते हुए उन्होंने भाजपा संसदीय दल के मुख्य सचेतक, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, गृह मामलों की समिति समेत कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई.

### द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर हुई चर्चा

और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग को नई मजबूती मिली.

2. स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास पर फोकस समझौतों का उद्देश्य अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप और सतत विकास को बढ़ावा देना है.

3. अनुसंधान परिषदों का सहयोग सीएसआईआर और नॉर्वे की रिसर्च काउंसिल के बीच जलवायु, स्वच्छ ऊर्जा, महासागर विज्ञान और स्वास्थ्य क्षेत्रों में साझेदारी.

4. अपतटीय पवन ऊर्जा और कार्बन प्रबंधन- सीएसआईआर ने नॉर्वेजियन संगठन एसआईएनटीईएफ के साथ 2026-2029 तक सहयोग समझौता किया.

5. अकादमिक और हरित परिवर्तन सहयोग- एसीएसआईआर और नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ छात्रों और शिक्षकों के आदान-प्रदान एवं संयुक्त अनुसंधान पर समझौता.

# बोलेरो वाहन से 45 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद

**मुरैना.** जिले की रिठौरा थाना पुलिस ने एक बोलेरो वाहन से 45 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद कर वाहन चालक को गिरफ्तार किया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बोलेरो वाहन में ग्वालियर की ओर से ग्राम रांसू तरफ अवैध शराब लेकर जा रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस ने शनिमंदिर के पास वाहन जांच अभियान शुरू किया. पुलिस को देखकर वाहन चालक तेज गति से भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने पुराने रिठौरा स्टेशन के पास घेराबंदी कर वाहन को रोक लिया. तलाशी के दौरान बोलेरो वाहन से 45 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई.


## कार्यालय नगर परिषद् गुनौर जिला पन्ना (म.प्र.)

क्रमांक/231/लो.नि.शा./ई-निविदा/2026 — :: ई-निविदा आमंत्रण सूचना :: — गुनौर, दिनांक 18.05.2026

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदाये आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण बेवसाईट https://mptenders.gov.in देखा जा सकता है।

| क्र. | टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक | कार्य का नाम | कार्य की समयावधि एवं लागत | निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD | निविदा क्रय करने की तिथि एवं अंतिम तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026_UAD_507380_1 | SUPPLY CONSTRUCTION MATERIAL YEAR 2026-27 NAGAR PARISHAD GUNOUR DISTT.PANNA M.P. NAGAR PARISHAD GUNNOR DISTT.PANNA M.P. | Time : 12 Months PAC : Rs. 2000000.00 | Tender Form : 2000.00 EMD : Rs. 15000.00 | 18.05.2026 10:30 AM to 20.06.2026 05:30 PM |
| 2 | 2026_UAD_508124_1 | Construction of Boundary Wall In Trenching Ground,Nagar Parishad Gunnor Distt. Panna M.P. | Time : 06 Months PAC : Rs. 2991139.00 | Tender Form : 2000.00 EMD : Rs. 23000.00 | 18.05.2026 10:30 AM to 20.06.2026 05:30 PM |
| 3 | 2026_UAD_508124_1 | Purchasing of Pickup Mounted Sky Lift PAYLOAD CAP.(KGS.) 1250 KGS MAX WORKING HT. 9MTR MAX. OUTREACH 2.5 MTRS. SLEWING 360 DEG DISPLACEMENT (CC) 1478 CC POWER 7 | Time : 01 Months PAC : Rs. 1800000.00 | Tender Form : 2000.00 EMD : Rs. 13500.00 | 18.05.2026 10:30 AM to 20.06.2026 05:30 PM |

निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in की वेबसाईट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद गुनौर, जिला पन्ना (म.प्र.)